दिनांक 17.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 27/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर जनपदीय पुलिस द्वारा 08 मिनट के अन्दर मौके पर पहुँच कर, बचायी गयी छात्रा की जान

दिनांक 16–06–2025 को जनपद रायबरेली के थाना मिल एरिया क्षेत्र निवासी लगभग 21 वर्षीय छात्रा द्वारा गोलियां (कैप्सूल) खाते हुए **"गुड बाय...-A सॉरी मम्मा पापा"** यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 16–06–2025 को समय–07:42 PM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए अलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण द्वारा उक्त अलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद रायबरेली को तत्काल प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना मिल एरिया के उ0नि0 मय महिला आरक्षी द्वारा 08 मिनट के अन्तराल में छात्रा के घर पहुँच कर अविलम्ब परिजनों के सहयोग से उसका प्राथमिक घरेलू उपचार कराया गया। उपचारोपरांत छात्रा के सामान्य होने पर जानकारी की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि वह स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा है, उसके माता–पिता द्वारा उसकी जबरदस्ती शादी कराई जाने की बात की जा रही है, लेकिन वह अभी शादी करना नहीं चाहती है बल्कि पढ़ना चाहती है जिसके कारण उसने सोचा कि न ही वह जिंदा रहेगी और न ही शादी करेगी। इसी क्रम में उसके मन में आत्महत्या की बात आयी और यह कदम उठाया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा समय से पहुँच कर छात्रा को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिसपर उसके द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। छात्रा के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। **दिनांक 01–01–2023 से 10–06–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 1024 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा** उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है ।

एस0टी0एफ0–थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0 236/2024 में वांछित रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी आयुश पाण्डेय गिरफ्तार।

दिनाक 17–06–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0 236/2024 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 में वांछित रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी को जनपद कौशाम्बी से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

आयुष पाण्डेय पुत्र विनोद कुमार पाण्डेय, निवासी बभनपुरा, थाना रानीपुर, जनपद मऊ।

बरामदगीः–

1– रू0 2150/–नगद

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

करवरिया सुगर मिल के सामने थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी, दिनांक 17–06–2025, समय 01:15 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण में उ0नि0 श्री जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में उ0नि0 चन्द प्रकाश मिश्रा, मु0आ0 मुनेन्द्र सिंह, मु0आ0 मृत्युंजय कुमार सिंह, आरक्षी चालक चन्द्रभान की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0 236/2024 में वांछित रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी आयुष पाण्डेय, करवरयिा सुगर मिल के सामने थाना मंझनपुर पर मौजूद है, जो कहीं जाने वाला है, यदि शीघ्रता किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर पहुंचकर आयुष पाण्डेय उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त आयुष पाण्डेय ने पूछताछ में बताया कि वह बभनपुरा थाना रानीपुर, जनपद मऊ का निवासी है। जनपद प्रयागराज में कोचिंग पढाने के दौरान एक अन्य कोचिंग में पढाने वाले नवीन सिंह जो आरओ/एआरओ की परीक्षा की तैयारी करवाते थे उनसे मेरी पहचान थी। नवीन सिंह के द्वारा वर्ष 2022 में आरओ/एआरओ की परीक्षा का पेपर मुझे भेजा गया था, यह पेपर नवीन सिंह को अरूण सिंह द्वारा भेजा गया था। हम लोगों के द्वारा इस परीक्षा के पेपर को प्रति अभ्यर्थी 05 लाख रूपये मे देने की बात हुयी थी। मेरे द्वारा अपने कई जानने वालों और तैयारी करने वाले अभ्यार्थियों को यह पेपर दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में मेरे व मेरे सहयोगियो के विरूद्ध थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी में उक्त अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें मै वांछित चल रहा था। उक्त अभियोग में मेरे विरूद्ध रूपये 1,00,000 का पुरस्कार भी घोषित किया गया था।

अभियुक्त आयुश पाण्डेय का ज्ञात आपराधिक इतिहास निम्नवत है–

क्र0सं0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	041/2024	420, 467,468,471,34 भादवि व 66डी आईटी एक्ट 2008	मंझनपुर	कौशाम्बी
2	236/2024	2/3 उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986	मंझनपुर	कौशाम्बी
3	74/2024	120बी, 201, 34, 419, 420, 465, 467, 468, 471 भादवि, 66 आईटी एक्ट 2008 व 3, 4, 9, 10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 1998	सिविल लाइन	प्रयागराज

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0 236/2024 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एनटीएफ—एएनटीएफ थाना सहारनपुर द्वारा करनाल शामली रोड़ पर ढ़ाबे की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले बिलाल गैंग के 03 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 12 क्विंटल 47 किलोग्राम अवैध डोडा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 02 करोड़ 40 लाख रुपये) बरामद ।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ,अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, उ0प्र0,लखनऊ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), ए0एन0टी0एफ0 मुख्यालय, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, ऑपरेशनल यूनिट मेरठ के नेतृत्व में एएनटीएफ थाना सहारनपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 03 सक्रिय तस्कर 1. नौशाद पुत्र जरीफ अहमद निवासी शाहगाजीपुरा कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली उम्र करीब 45 वर्ष 2. बलविन्द्र उर्फ बिन्दर पुत्र अमरसिंह निवासी शाहाबाद, लाडवा रोड, कुरुक्षेत्र, हरियाणा उम्र करीब 45 वर्ष 3. मुस्तकिम पुत्र इकबाल निवासी खानपुर गुज्जर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर उम्र करीब 46 वर्ष को गिरफ्तार कर, उनके कब्जे से 12 क्विंटल 47 किलोग्राम अवैध डोडा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 02 करोड़ 40 लाख रुपये) बरामद कर, थाना झिंझाना, जनपद शामली में मु0अ0सं0 288/2025 धारा 8/15/29/60/61 एनडीपीएस एक्ट, 1985 पंजीकृत कराकर, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरणः—

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त नौशाद उपरोक्त ने बताया कि मै यह काम बिलाल पुत्र इरशाद निवासी ग्राम खानपुर गुज्जर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर व उसके भाई मुकरीम पुत्र इरशाद निवासी ग्राम खानपुर गुज्जर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के लिये करता हूँ। मुझसे राजस्थान व मध्यप्रदेश से डोडा मंगवाते है । बिलाल द्वारा ढ़ाबे का संचालन किया जाता है जिस पर हम लोग सहभागी का काम करते है । बिलाल के निर्देश पर राजस्थान मे जाकर बिलाल का डोडा का सप्लायर मुझसे गाड़ी ले लेता था, तथा डोडा को लोड करवाकर, छिपाने के लिये कभी सीमेन्ट तो कभी पेन्सिल पाउडर आदि के कट्टो से ढकवा देता था तथा माल के पीछे भी छुपाने के उद्देश्य से उसकी एक—दो परत भी लोड कर देता था । दिनांक 14.06.2025 को उसी व्यक्ति ने गाड़ी मे पेन्सिल पाउडर की आड़ मे डोडा लोड करके मुझे दे दिया । उनका नाम व पता मै नहीं जानता हूँ, उनके बारे में जानकारी सिर्फ बिलाल को है । मै गाड़ी को लेकर बिलाल के बताये ढ़ाबे पर आ रहा था कि बिलाल ने फोन से बताया कि समाना खालसा ढाबा पर बलविन्द्र उर्फ बिन्दर

व मुस्तकिम मिलेगे, उन्हे माल सुपुर्द कर देना । आज मै गाड़ी ढ़ाबा के पास खडी कर बलविन्द्र और मुस्तकिम को गाड़ी को अनलोड कर माल उतरवा रहा था तभी पुलिस ने आकर हम तीनो को पकड़ लिया।

बलविन्द्र उर्फ बिन्दर व मुस्तकिम ने पूछने पर बताया कि साहब हम दोनो बिलाल व मुकरिम के साथ मिलकर यह ढाबा चलाते है और सस्ते दाम मे नौशाद से राजस्थान व मध्यप्रदेश से डोडा मगवाते है व आने जाने वाले ट्रक ड्राइवरो को महगे भाव मे बेचकर मुनाफा कमाते है । बिलाल व मुकरिम के कहे अनुसार आज हम जब नौशाद गाडी लेकर आया तो हम दोनो गाडी को अनलोड कराकर माल उतरवाने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय पुलिस आ गई और हम तीनो को पकड लिया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः–

1. नौशाद पुत्र जरीफ अहमद निवासी शाहगाजीपुरा कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली ।
2. बलविन्द्र उर्फ बिन्दर पुत्र अमरसिंह निवासी शाहाबाद, लाडवा रोड, कुरुक्षेत्र, हरियाणा।
3. मुस्तकिम पुत्र इकबाल निवासी खानपुर गुज्जर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक व समय–

दिनांक – 16.06.2025, समय 17.50 बजे, स्थान – समाना खालसा ढाबा, करनाल– शामली रोड, थाना झिंझाना जनपद शामली ।

कुल बरामदगी –

1. 12 क्विंटल 47 किलोग्राम अवैध डोडा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 02 करोड़ 40 लाख रुपये)।
2. एक अदद गाडी EICHER 3018
3. 4 अदद मोबाइल फोन
4. 1700/– रुपये नगद ।

ए०एन०टी०एफ०–ए०एन०टी०एफ० ऑपरेशनल यूनिट मेरठ द्वारा उड़ीसा राज्य से मादक पदार्थों को लाकर उसकी अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी करने वाले 04 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 124 किलोग्राम अवैध गांजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 62 लाख रुपये) बरामद

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ०प्र० लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ०प्र० लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ, के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ए०एन०टी०एफ० मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ के पर्यवेक्षण में

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक श्री भगवान दास ए०एन०टी०एफ० ऑपरेशनल यूनिट मेरठ के कुशल नेतृत्व में ए०एन०टी०एफ० ऑपरेशनल यूनिट मेरठ टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय तस्कर 1– गौरव राठी पुत्र उदयवीर सिंह निवासी दूध हेरी थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर, 2– अरविन्द कुमार पुत्र स्व० कृष्णपाल निवासी दूधली बांगर थाना मवाना जनपद मेरठ, 3– वाजिद खान पुत्र सईद खान निवासी मोहल्ला कल्याण सिंह ढिकोली रोड कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ, 4– कपिल पुत्र नरेन्द्र निवासी बिसौला थाना इन्चौली जनपद मेरठ को मय ट्रक नं0 UP 11AT 0880 व कार आई–20 के गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 124 किलोग्राम अवैध गांजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 62 लाख रुपये) बरामद कर थाना मवाना जनपद मेरठ में मु0अ0सं0 246/2025 धारा 8/20/29/60/61 एनडीपीएस एक्ट, 1985 का अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गौरव राठी द्वारा बताया गया कि साहब पहले भी मैं शराब तस्करी व अन्य मामलो में कई बार जेल जा चुका हूँ। मैं अपनी गाड़ी आई–20 कार से अरविन्द को अपने साथ लेकर ट्रक नं0 UP 11AT 0880 के साथ उड़ीसा में उमरकोट के पास बोरई के जंगलों से अलग अलग जगहों से अलग अलग व्यक्तियों से गाँजा इकट्ठा करके उक्त ट्रक में भरकर छिपाकर लेकर आते हैं और मवाना के पास अरविन्द के गाँव दूधली के जंगलों में ट्रक से उतारकर छिपाकर रख देते हैं और फुटकर में आस पास के जनपदों व एनसीआर क्षेत्र में बेच देते हैं। एक साथी, जिसका नाम दिनेश कुमार हम लोगों से गाँजा खरीदता व बिकवाता है। ट्रक के चालक परिचालक वाजिद व कपिल पैसा कमाने के लालच में ट्रक में गांजा छिपाकर लाने में सहयोग देते है, जिसके लिए उनको गाजे की विक्री से प्राप्त लाभ में हिस्सा दिया जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1– गौरव राठी पुत्र उदयवीर सिंह निवासी दूध हेरी थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर
2– अरविन्द कुमार पुत्र स्व० कृष्णपाल निवासी दूधली बांगर थाना मवाना जनपद मेरठ
3– वाजिद खान पुत्र सईद खान निवासी मोहल्ला कल्याण सिंह ढिकोली रोड़ कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ
4– कपिल पुत्र नरेन्द्र निवासी बिसौला थाना इन्चौली जनपद मेरठ

नाम पता वांछित अभियुक्त का विवरण

1– दिनेश कुमार निवासी सकौती टाण्डा थाना दौराला जनपद मेरठ

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक/समय

दिनांक 17–06–2025 समय 04.30 बजे, स्थान बिजनौर रोड फ्लाई ओवर के सर्विस रोड पर थाना मवाना जनपद मेरठ

कुल बरामदगी का विवरण–

1– 124 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 62 लाख रुपये)

2– ट्रक टाटा

3– कार ह्यून्डई आई–20

4–02 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन व 03 अदद आधार कार्ड व 02 ड्राइविंग लाइसेन्स व 20200/– रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–

1– उ0नि0 श्री लोकेन्द्र कुमार ए०एन०टी०एफ० ऑपरेशनल यूनिट मेरठ।

2– मु०आ० संजीव कुमार ए०एन०टी०एफ० ऑपरेशनल यूनिट मेरठ।

3– मु०आ० नवीन कुमार भारद्वाज ए०एन०टी०एफ० ऑपरेशनल यूनिट मेरठ।

4– मु०आ० विनित कुमार ए०एन०टी०एफ० ऑपरेशनल यूनिट मेरठ।

5– मु०आ० मनीष कुमार ए०एन०टी०एफ० ऑपरेशनल यूनिट मेरठ।

सहयोगार्थ थाना मवाना जनपद मेरठ पुलिस टीम

1– उ0नि0 श्री मनोज शर्मा थाना मवाना जनपद मेरठ।

2– उ0नि0 श्री अनुराग सिंह थाना मवाना जनपद मेरठ।

3– हे0का0 1722 राजकुमार थाना मवाना जनपद मेरठ।

4– हे0का0 182 नरेन्द्र भाटी थाना मवाना जनपद मेरठ।

5– का0 2115 कपिल थाना मवाना जनपद मेरठ।

6– का0 3247 विमलेश कुमार थाना मवाना जनपद मेरठ।

सहयोगार्थ सर्विलांस टीम मुख्यालय लखनऊ

1– एस. आई. एम राजेश मिश्र (सर्विलांस प्रभारी) एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ।

2– टीम सर्विलांस एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ए.एन.टी.एफ. थाना सहारनपुर ।

1.उ0नि0 श्री अवधेश, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।

2.उ0नि0 श्री मोरध्वज, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।

3.उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।

4.है0का0 अश्वनी कुमार, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।

5.आ0 शिवम चौधरी, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।

6.आ0 अंकित कुमार, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।

7.आ0 विकास कुमार, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।

8.आ0 सूरज देशवाल, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।

9.आ0 नगेन्द्र यादव, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।

जनपद बागपत/थाना दोघट

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख 05 हजार 60 रूपये नगद**
- **लूट की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17.05.2025 को थाना दोघट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दाहा कान्हड मार्ग, रजवाहे पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मोनू घायल हो गया एवं ग्राम फौलादनगर जंगल से अभियुक्त रविन्द्र घायल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 05 हजार 60 रूपये नगद, लूट की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना दोघट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोनू निवासी ग्राम बसौली थाना रमाला जनपद बागपत।

2–रविन्द्र निवासी बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी

1–लूट के 02 लाख 05 हजार 60 रूपये नगद।

2–लूट की 01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मथुरा/थाना गोविन्दनगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 17.05.2025 को थाना गोविन्दनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोविन्दनगर पी0एम0बी0 कॉलेज के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–सुनील सहित अभियुक्त 2–पप्पू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सुनील शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त सुनील थाना गोविन्दनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोविन्दनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील निवासी मण्डीरामदास थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।

2–पप्पू निवासी मोहन नगर थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।

जनपद बहराइच/थाना पयागपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 65 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 17.05.2025 को थाना पयागपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अर्जुनपुरवा तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल

सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अमरेश उर्फ अमरेन्द्र घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 65 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पयागपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अमरेश उर्फ अमरेन्द्र निवासी मधनगर मनोहरपुर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 65 हजार 500 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल आदि।

<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना हरीपर्वत</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 06 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 17.06.2025 को थाना हरीपर्वत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर—6 ट्रान्सपोर्ट नगर तिराहा के पास से अभियुक्त भूपेन्द्र को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 06 लाख 50 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—भूपेन्द्र निवासी गाँव नगला भिक्की थाना शमशाबाद कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1—चोरी के माल बिक्री के 06 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2— 01 मोबाइल फोन आदि।

- **जनपद बहराइच/थाना हुजूरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना हुजूरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रिंकू उर्फ राम प्रसाद को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————